प्रकरण संख्या 39/2016 झीतरा बनाम खीमा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 63 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार ग्राम पातापुर में वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित कुल आराजियात किता 10 रकबा 11.63 एकड़ स्थित हैं, जो एकमात्र वादीगण के कब्जे काश्त की है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु प्रतिवादीगण लड़ाई–झगड़ा करते हैं तथा कहते हैं कि उनका नाम भी सहखातेदारी में दर्ज रेकार्ड हो गया है, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का एकमात्र खातेदार घोषित किया जाकर रेकार्ड से अवैध इन्द्राज हटाये जावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 23.06.2016 से वादीगण का वाद स्वीकार किया किन्तु राजस्व रेकार्ड में कोई रद्दोबदल नहीं करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.08.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 8 व 10 से 18 की ओर से वकील श्री भगवतपुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 व 21 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने पर बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पत्रावली तलबी एवं जवाबदावे में नियत थी परन्तु बिना तलबी हुए व बिना जवाबदावा लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादीगण की	

अनुपस्थिति में बिना उन्हें सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक निर्णय पारित 12.04.2016 को रखा गया, किन्तु बिना वादीगण को इसकी कोई सूचना दिये उक्त दिनांक के स्थान पर प्रकरण सीधे ही प्रकरण दिनांक 23.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखकर वादीगण की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.17 13:15:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: